न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

अपील संख्या–08/2021 (सू0 का अधि0)
जीसीएमएस नं0 2021/101

कैलाशचन्द्र शर्मा आत्मज बद्रीलाल शर्मा निवासी सरकारी अस्पताल के पास मालियों का दपोला ग्राम चेचट पोस्ट चेचट, तहसील रामगंजमण्डी कोटा, कोटा राज0 326518

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा कोटा।

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक :– 09/6/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कैलाशचन्द्र शर्मा आत्मज बद्रीलाल शर्मा निवासी सरकारी अस्पताल के पास मालियों का दपोला ग्राम चेचट पोस्ट चेचट, तहसील रामगंजमण्डी कोटा, के द्वारा दिनांक 14.12.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई–

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 6.1.2020 के क्रम में श्रीमान जी के कार्यालय के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश क्रमांक– दिनांक की प्रमाणित प्रति एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं दोषी लोकसेवकों के पदस्थापन व यदि लोक सेवक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति हो चुकी है तो पूर्ण पते सहित पत्रों की प्रमाणित प्रति चाहने बाबत् ।
2. राज0 सम्पर्क परिवाद क्रमांक 11200678935519 के क्रम में दिनांक 23.11.2020 को की गई टिप्पणी के क्रमांक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महो0 कोटा की टिप्पणी अनुसार श्रीमान जी के कार्यालय

जिला कलेक्टर
कोटा

द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति चाहने चूंकि प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित है ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में 02.03.2021 को पेश की गई जो दिनांक 6.4.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक/ सूचना/ प्रथम–अपील / (प–702/20)/2021/183 दिनांक 15.4.2021 से टिप्पणी एवं पत्रावली प्राप्त हुई । अपीलार्थी को भी जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । अपीलार्थी उपस्थित, अपीलार्थी द्वारा पुनः अपूर्ण सूचना दी जाने बाबत लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि "आवेदक द्वारा अपने आवेदन से वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से होने के कारण सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा को सूचना चाहने हेतु पत्र लिखा गया । सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से सूचना प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/सूचना/प–270/20/2121/52 दिनांक 2.2.2021 से सूचना आवेदक को उपलब्ध करवा दी गयी है । आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर भी किये गये । जिसकी छायाप्रति पत्रावली के साथ संलग्न है । चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।"

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना दी जा चुकी है किन्तु प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपूर्ण सूचना बताई जाकर उनके द्वारा दिनांक 6.1.2020 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना चाही गई है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 6.1.2020 में सम्पर्क पोर्टल पर पुलिस विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट अपलोड की गई जांच रिपोर्ट में थानाधिकारी चेचट द्वारा अंकित किया गया है कि दौराने जांच परिवादी कैलाश शर्मा के बयान लिये गये सामने आया की मधु सुदन आचार्य के विरूद्व भूमि आवंटन से व्यथित परिवादी होने से तथा परिवादी यह मानता है की भूमि आवंटन के समय कमेटी द्वारा मधु सुदन के पिता के पास मौजूद भूमि के बारे में बारीकी से जांच नहीं की गई । परिवादी द्वारा परिवाद में अंकित समस्त मामला राजस्व विभाग का है । जिसके सम्बन्ध में परिवादी को सम्बन्धित न्यायालय

जिला कलेक्टर
कोटा

मे वाद /आवेदन करने की समझाईस की गई ।" उक्त रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी अपीलार्थी को दी जा चुकी है तथा सम्पर्क पोर्टल पर भी अपलोड है ।

अद्योपांत हम यह पाते है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6.1.2020 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में मुख्यरूप से दिनांक 25.11.1975 में आवंटन कमेटी चेचट द्वारा श्री मधुसुदर आचार्य को किये गये भूमि आवंटन में अनियर्मिता की शिकायत की जाकर आवंटन निरस्त कराने एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही हेतु निवेदन किया है । परिवाद में प्रार्थी द्वारा चाही गई कार्यवाही आवंटन निरस्तीकरण से सम्बन्धित है जो बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है । तथा प्रकरण भी 1975 का होकर काफी पुराना है । इस बाबत तो प्रार्थी अपीलांट को उक्त आवंटन के विरूद्व सक्षम न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना में लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा उपलब्ध सूचना प्रार्थी अपीलांट को उपलब्ध करा दी गई है । अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

9/6/21

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा